

Ref. Co/P & GS / SSS

। श्रद्धालु व्यक्तिगत और व्यापार अधिकारी के लिए बहुत उपलब्ध है। सभी लोगों के लिए व्यापार अधिकारी के लिए उपलब्ध है।

। श्रद्धालु व्यक्तिगत और व्यापार अधिकारी के लिए बहुत उपलब्ध है। सभी लोगों के लिए व्यापार अधिकारी के लिए उपलब्ध है।

। श्रद्धालु व्यक्तिगत और व्यापार अधिकारी के लिए बहुत उपलब्ध है। सभी लोगों के लिए व्यापार अधिकारी के लिए उपलब्ध है।

To,

Sarpanch

Date : _____

Village Panchayat

। श्रद्धालु व्यक्तिगत और व्यापार अधिकारी के लिए बहुत उपलब्ध है। सभी लोगों के लिए व्यापार अधिकारी के लिए उपलब्ध है।

। श्रद्धालु व्यक्तिगत और व्यापार अधिकारी के लिए बहुत उपलब्ध है। सभी लोगों के लिए व्यापार अधिकारी के लिए उपलब्ध है।

। श्रद्धालु व्यक्तिगत और व्यापार अधिकारी के लिए बहुत उपलब्ध है। सभी लोगों के लिए व्यापार अधिकारी के लिए उपलब्ध है।

। श्रद्धालु व्यक्तिगत और व्यापार अधिकारी के लिए बहुत उपलब्ध है। सभी लोगों के लिए व्यापार अधिकारी के लिए उपलब्ध है।

विषय : दरिद्र जनगणके 'आम आदमी बीमा योजनार' अनुरूपिकरण

एवं समाजेर दुर्बलतर अंशोंर जन्य बीमा सुरक्षार व्यवस्था

महाशय / महाशया,

आपनारा अवगत आছें ये भूमिहीन ग्रामीण परिवारगुलि एवं असंगठित क्षेत्रे कर्मरत श्रमिकदेर कोन सामाजिक सुरक्षा नेहे। भारत सरकार अर्थात् आमदेर केन्द्रीय सरकार एवं विभिन्न राज्यसरकारेर पक्ष थेके दरिद्र सीमार नीचे अथवा दरिद्र सीमार समान्य उपरे बसवासकारी व्यक्तिदेर जन्य सामाजिक सुरक्षा एवं उपार्जनेर निश्चयता देवार उद्देश्ये विभिन्न पदक्षेप ग्रहण करा हयेछे।

एই उद्देश्ये केन्द्रीय सरकारेर पक्ष थेके 'आम आदमी बीमा योजना' नामक ये प्रकल्पित शृच्ना करा हयेछे, तार तत्त्वावधानेर दायित्व नियेछे भारतीय जीवन बीमा निगम। ये समक्ष मानुष असंगठित क्षेत्रे कर्मरत एवं साधारण भावे सामाजिक सुरक्षार अधीने नेहे, तादेर जन्यहै एइ प्रकल्पि गृहीत हयेछे।

एই समक्ष मानुषदेर चिह्नित करा एवं तादेर 'आम आदमी बीमा योजनार सुरक्षार अधीने निये आसार दायित्व देवया हयेछे विभिन्न 'नोडाल एजेंसी' गुलिर उपर, यादेर मध्ये रयेछे पध्धायेतेर कार्यालय गुलि, विभिन्न बेसरकारी संस्था वा एन.जि.ও गुलि ओ विभिन्न संस्थामूलक व्यवस्थागुलिओ एर दायित्व निते पारवे।

राज्य सरकार एवं विभिन्न केन्द्रशासित अध्यालगुलि एइ 'आम आदमी बीमा योजना' प्रकल्पित नोडाल एजेंसीर दायित्व ग्रहणेर सम्भवि प्रकाश करेछे ताराइ नोडाल एजेंट हिसाबे काज करवे।

एइ सब नोडाल एजेंसीगुलिर दायित्व हल पध्धायेत राज परिचालित विभिन्न संस्थागुलिर साहाय्य निये एइ बीमार अनुरूपिकरणेर जन्य योग्य व्यक्तिदेर चिह्नित करा एवं निकटवर्ती भारतीय जीवनबीमा निगमेर 'पेनशन ओ ग्रप श्वीम' (पी एन जि एस) विभागे तादेर नाम नथिभूक्त करा ५० शतांश प्रमियाम सह। यदि एइ सब मानुषरा भूमिहीन ग्रामीण परिवारगुलिर अनुरूपत हय तबे तादेर जन्य राज्य सरकार एइ बीमार खरच बहन करवे।

এই আম আদমী বীমা সংক্রান্ত সমস্ত কাজ বীমাকৃত সদস্যদের পক্ষে পালন করার দায়িত্ব থাকবে নোডাল এজেন্সী গুলির উপর। এই প্রকল্পের অধীনে বীমার প্রধান বীমাকারী বা 'মাস্টার পলিসি হোল্ডার' হিসেবে নোডাল এজেন্সীর নামই বিবেচিত হবে।

১১১১১১১১১১১১১১১১১

এই প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা ও প্রিমিয়াম নিম্নরূপ :

- এই প্রকল্পের অধীনে থাকা যে কোনো সদস্যের স্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে তার নমিনি ৩০,০০০ টাকার বীমা সুরক্ষা পাবেন।
- কোন সদস্যের যদি দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যু বা স্থায়ী পূর্ণ পঙ্গুত্ব ঘটে সেক্ষেত্রে ৭৫,০০০ টাকার বীমা সুরক্ষা পাওয়া যাবে।
- দুর্ঘটনা জনিত কারণে কোন সদস্যের স্থায়ী আংশিক পঙ্গুত্বের ক্ষেত্রে ৩৭,০০০ টাকার বীমা সুরক্ষা পাওয়া যাবে।
- এই বীমা যোজনার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক সদস্য প্রতি বার্ষিক প্রিমিয়াম বা কিসিতে পরিমাণ হল ২০০ টাকা, এর মধ্যে ৫০ শতাংশ অর্থাৎ ১০০ টাকা বহন করবে কেন্দ্রীয় সরকারের ভারতীয় জীবন বীমা নিগম পরিচালিত তহবিল এবং বাকি ৫০ শতাংশ (আরও ১০০ টাকা) বহন করবে মেম্বার এবং / অথবা নোডাল এজেন্সী।
- আম-আদমি বীমা যোজনা তে গ্রামীণ ভূমিহীন বাস্তুজীবি দের জন্য ২০০ টাকা মেম্বার প্রতি প্রিমিয়াম এর ৫০ শতাংশ (১০০ টাকা) দেওয়া হবে ভারত সরকার ও এল আই সি পরিচালিত তহবিল থেকে ও বাকী ৫০ শতাংশ প্রিমিয়াম দেবে রাজ্য সরকার। এক্ষেত্রে মেম্বারকে কোন প্রিমিয়াম দিতে হবে না।

'আম আদমী বীমা যোজনা' হল সেইসব মানুষের জন্য যাঁরা দারিদ্র্য সীমার নীচে বা তার সামান্য উপরে রয়েছেন।
বিশেষ তালিকা ভুক্ত ৪৮ টি পেশার অধীনস্থ ব্যক্তিগৱাই এই বীমার অধীনে আসার জন্য বিবেচিত হবেন।

উপরোক্ত সুবিধাগুলি ব্যতীত এই বীমার অধীনস্থ সদস্যের প্রত্যেকের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠরত / পাঠরত দুটি করে সন্তান প্রত্যেকে প্রতি ছয়মাসে ৬০০ টাকা করে বৃদ্ধি পেতে পারবে যা কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে প্রদান করা হবে ভারতীয় জীবন বীমা নিগমের মাধ্যমে। আই.টি.আই. কোর্সে পড়লেও এই বৃদ্ধি পাওয়া যাবে।

সুতরাং আপনাকে আমাদের অনুরোধ, আপনার গ্রামের সমস্ত মানুষকে এই প্রকল্পের অধীনে সুরক্ষা দেবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করুণ। এজন্য আরও কোনও বিষয়ে জানবার থাকলে নিম্নলিখিত কার্যালয়ে যোগাযোগ করুণ।

আপনাদের বিশ্বস্ত

১১৪

ডিভিশনাল ম্যানেজার (পি এন্ড জি এস)

কলিকাতা মেট্রোপলিটান ডিভিশনাল অফিস-১

ভারতীয় জীবন বীমা নিগম

১৬, চিরুরজন একাডেমি
কলকাতা-৭০০০৭২
পৌরসভা সড়ক
কলকাতা-৭০০০৭২